

प्रेषक,

आनन्द गुप्ता,
सप्तम अपर सिविल जज(अ०खं०)
बहराइच।

सेवा में,

माननीय महानिबन्धक
माननीय उच्च न्यायालय
इलाहाबाद।

द्वारा माननीय जनपद न्यायाधीश
जनपद, बहराइच।

विषय:- शासनादेश संख्या-1363-2-4-2009-45(12)/91टी०सी० नियुक्ति अनुभाग-4 लखनऊ, दिनांकित 13 मई 2009 और शासनादेश संख्या- 1705-दो-4-2011/45(120/19)टी०सी० नियुक्ति अनुभाग लखनऊ दिनांकित 03-01-2012 के अनुसार स्नातकोत्तर उपाधिधारक न्यायिक सेवा के चयनित अभ्यर्थियों को 03 अग्रिम वेतन वृद्धियां प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

माननीय महोदय से ससम्मान निवेदन है कि मैं उ०प्र० न्यायिक सेवा परीक्षा-2018 के परिणाम घोषित होने के दिनांक 20-07-2019 के पूर्व ही विधि की स्नातकोत्तर उपाधि धारक (एलएल०एम०) परीक्षा उत्तीर्ण हो गया था।

उ०प्र० शासनादेश संख्या-1363-2-4-2009-45(12)/91टी०सी० नियुक्ति अनुभाग-4 लखनऊ दिनांकित 13 मई 2009 और शासनादेश संख्या-1705-दो-4-2011/45(120/19)टी०सी० नियुक्ति अनुभाग लखनऊ दिनांकित 03-01-2012 के अनुसार उ०प्र० न्यायिक सेवा में चयन होने के पूर्व विधि की स्नातकोत्तर उपाधि (एलएल०एम०) धारित करने वाले उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा के अधिकारियों को 03 अग्रिम वेतन वृद्धियों का लाभ प्रदान किया गया है।

अधोहस्ताक्षरी वर्तमान में नोटीफिकेशन सं०-4039/एडमिन(सर्विसेज)/2019, माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद दिनांकित 14-11-2019 के अनुपालन में सप्तम अपर सिविल जज (अ०खं०), बहराइच के पद पर पदभार ग्रहण कर वर्तमान में प्रशिक्षणाधीन है।

अतः माननीय महोदय से प्रार्थना है कि उक्त शासनादेश के परिप्रेक्ष्य में नियुक्ति दिनांक 14-11-2019 से 03 अग्रिम वेतन वृद्धियों का लाभ स्वीकृत करने की कृपा करे।

माननीय महोदय की अति कृपा होगी।

सादर।

दिनांक:-22-11-2019

SAHRAICH JUDGE'S OFFICE
2601-I-1719
22-11-19
Forwarded

District Judge

22-11-19

संलग्नक-1-एलएल०एम० मार्कशीट एवं प्रमाण पत्र की सत्यापित छायाप्रति।

भूवदीय,

22/11/19
(आनन्द गुप्ता)

सप्तम अपर सिविल जज(अ०खं०)

बहराइच।